☎ 2543175, 5256067

मध्यप्रदेश वक़्फ बोर्ड

ताज केम्पस, नियर ताजुल मसाजिद, भोपाल
e-mail:mp_waqfboard@rediffmail.com

प्रति,

_____

_____

_____

विषय : वक़्फों के इन्तेज़ाम बाबत् महत्वपूर्ण निर्देश

अहले खैर हजरात की जानिब से धार्मिक विश्वास और मजहबी जजबात के तहत और कौम के आम लोगों के सुधार और उनकी फलाह के लिय अपनी किसी जायदाद को अल्लाह के नाम पर दिया गया ''वक़्फ'' कहलाता है।

समाज की जरुरतों को पूरा करने की यह इजतेमाई (सामुहिक) प्रबंध व्यवस्था पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्ल. के जमाने से राइज है। शायद ऐसी मुकम्मिल व्यवस्था अन्य कहीं नहीं है।

ऐसे तमाम औकाफ की निगरानी के इख्तियार वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ बोर्ड को प्राप्त हैं। आम तौर पर वक्फ बोर्ड का मकसद समस्त रजिस्टर्ड औकाफ की देख भाल, निगरानी और मार्गदर्शन करना है। ऐसे तमाम वक्फों के प्रबंध और संचालन के लिये जिस व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है वह मुतवल्ली या इंतेजामिया कमेटी कहलाती है। कोई भी वक्फ सम्पत्ति जो किसी मुतवल्ली या कमेटी के अधिपत्य में आती है वह वास्तव में एक मजहबी अमानत है। जिससे संबंधित कार्य मुतवल्ली को हमदर्दी और ईमानदारी से करना चाहिये।

लेकिन देखा जा रहा है हम लोग इसकी मंशा को सही तौर पर समझ नहीं पा रहे हैं, तथा इसके बरअक्स इसका दुरुपयोग करने पर आमादा हैं।

वक्फ के इंतेजाम और हिफाजत के लिये अब संशोधित रुप से वक्फ एक्ट 1995 को देश में 1-1-96 से लागू किया गया है। जरुरत है कि हम इसको समझें और अमल में लावें।

वक्फ एक्ट की धारा 3 के तहत सभी वक्फ सम्पत्तियों के प्रबंधं व्यवस्था, नियंत्रण एवं सुप्रिन्टेन्डेक्स के लिये प्रदेश स्तरीय वक्फ बोर्ड का गठन धारा 13 के तहत किय जाता है। जिसे एक्ट के समस्त अधिकार दिये गये है। जिला एवं तहसील तथा वक्फों की प्रबंध व्यवस्था को चलाने के लिय जिला कमेटियां, तहसील, कमेटियां, अंजुमन कमेटियां, मुतवल्ली कमेटियां एवं मुतवल्ली की नियुक्ति एवं हटाने के अधिकार भी बोर्ड को दिये गये हैं। यह कमेटियां वक्फ बोर्ड के सीधे नियंत्रण, निगरानी एवं निर्देशों के तहत ही वक्फ एक्ट के प्रावधानों के अधीन काम अंजाम देने के लिये बनाई जाती है। इन सभी कमेटियों की हैसियत सिर्फ एक मैनेजर की तरह है। लेकिन आम तौर पर यह देखा जा रहा है कि सदर, सेकेट्री, मेम्बर मुतवल्ली अपने आप को वक्फ का बैखौफ मालिक समझने लगते हैं।

हम सब को यह याद रखना होगा कि वक्फ का इंतेजाम करना एक समाजी ही नहीं दीनी खिदमत भी है। इसमें कोताही या इसके दुरुपयोग के लिये हम सामाजिक रुप से तो जवाबदेह हैं ही **हमें इसका हिसाब आखिरत में ही नहीं बल्कि इसी दुनिया में भी देना होगा।** इसलिये आप से गुजारिश है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और काम को अंजाम दें।

वक्फ के हिसाब किताब के ताअल्लुक से कुछ हिदायतें दी जा रही है। कृपया इनको गौर से अमल में लाने की तकलीफ करेंगे।

1. **आय प्राप्त होने पर निम्न कार्य करें** –

अ. अनिवार्य रुप से वक्फ के नाम से रसीदें छपवाऐं आवश्यकता के अनुसार एक अथवा दो वर्ष के लिये।

ब. जितनी रसीदें छपवाई जावें उनकी संख्या बुक, संख्या तथा रसीदों की संख्या, बिल नं., दिनांक आदि की सूचना म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रेषित करें।

स. अनिवार्य रुप से समस्त रसीद बुकों को कार्यालय वक्फ बोर्ड लाकर उन पर प्रमाणीकरण की सील लगवाऐं तथा **प्रमाणित संख्या दर्ज कराकर प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।**

2. **बैंक खाता खोलना तथा रकम जमा करना :-**

(i) **वक्फ के नाम** से किसी अच्छे बैंक में बचत खाता खोलें। अध्यक्ष, सचिव अथवा किसी अन्य सदस्य आदि के नाम से खाता खोलना नियमों के खिलाफ है।

(ii) खाते का संचालन अध्यक्ष, सचिव तथा खजांची के संयुक्त हस्ताक्षर से करें या कम से कम इनमें से 2 व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षर से करें। इसकी सूचना बोर्ड को दी जावे।

(iii) किसी भी प्रकार की आय प्राप्त होने पर सर्वप्रथम प्रमाणित रसीद बुक में से रसीद काटें, तत्पश्चात् फौरन रकम को बैंक खाते में जमा करें। यह ध्यान रखें कि प्राप्त आय को बैंक में जमा करने से पहले किसी भी दशा में खर्च नहीं करना है। खर्च करने के लिये बाद में बैंक से रकम निकाल कर खर्च करें। अन्यथा आडिट में आपत्ति योग्य होकर आपके विरुद्ध वक्फ अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

(iv) चैक बुकों के काउन्टर पर अथवा चैक बुक के अंत में दिये विवरण के पत्रक में साफ-साफ पूरा विवरण भरें तथा हस्ताक्षर करें ताकि केश बुक से मिलान किया जा सके।

(v) इसी प्रकार बैंक में रकम जमा करने की रिलप/पर्चों के काउन्टर में भी दिनांक एवं अन्य विवरण साफ-साफ एवं पूर्ण भरें तथा उनको तिथिवार जमा कर सुरक्षित रखें।

(vi) समय-समय पर बैंक पास-बुक में रकम का इंद्राज करवाते रहे अथवा बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर एक फाइल में लगा कर सुरक्षित रखें एवं आडिट के समय प्रस्तुत करें। यह ध्यान रखें कि 31 मार्च के तुरंत बाद पास बुक में इंद्राज करावें। तथा समय-समय पर बोर्ड को इसकी सूचना दी जावे।

इसके लिये पूर्ण पारदर्शिता रखें, समस्त दस्तावेज जमा कर सुरक्षित रखें जावें।

3. **लेखे संधारित करना :**

आपको निम्न प्रकार वक्फ का हिसाब रखना आवश्यक है-

(i) प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के खाते (आय-व्यय) तैयार कर बोर्ड को भेजा जावे।

(ii) एक केश बुक लिखें (जो बाजार से क्रय कर उपयोग कर सकते हैं।) इसके आय वाले भाग में जारी की गई रसीदों का नं. तथा जारी किये गये चैकों का नं. अनिवार्य रुप से लिखें। इस प्रकार व्यय के भाग में बाउचर का नं. आवश्य लिखें। आवश्यकता के अनुसार प्रति दिन, प्रति सप्ताह या प्रति माह शेष निकाल कर नकद एवं बैंक बैलेन्स की मिलान करें।

(iii) एक लेजर रजिस्टर बाजार से क्रय कर संधारित करें जिसमें मदवार आय एवं खर्च का ब्यौरा लिखें तथा मासिक अथवा कम से कम प्रत्येक 3 माह में आय-व्यय का पत्रक बनावें एवं वक्फ के स्थान पर चस्पा करें ताकि सर्व साधारण सूचित हो सके।

(iv) खर्चों के लिये बिल केश मेमो प्राप्त कर तथा जिन खर्चों के बिल प्राप्त नहीं होते छपे हुए वाउचर फार्म (जो बाजार में मिलते हैं) का उपयोग करें तथा खर्च का भुगतान करने पर पाने वाले के हस्ताक्षर वाउचर पर कराएं एवं अध्यक्ष/मुतवल्ली के भी हस्ताक्षर करावें।

(v) समस्त वाउचर को एक फाइल में तिथिवार लगाकर रखें तथा आडिट के समय प्रस्तुत करें।

(vi) एक स्टाक रजिस्टर बनाऐं -

बाजार से स्टाक रजिस्टर क्रय कर ऐसी समस्त वस्तुंए जो महत्वपूर्ण एवं एक वर्ष से अधिक वर्षो तक उपयोग में रह सकती हैं उनको पूर्ण विवरण के साथ लिखें।

(vii) किरायदार रजिस्टर :-

किरायेदारी के लिय दो रजिस्टर बनाएं अथवा एक रजिस्टर में दो भाग कर लिखें। यह रजिस्टर प्रति वर्ष बनाएं :-

अ) किरायदारी रजिस्टर : उसका नमूना संलग्न है।

ब) **किराया रजिस्टर : नमूना संलग्न है।**

4. बजट बाना एवं प्रेषित करना।

क) ऐसे वक्फ जिनकी वार्षिक आय 10,000/- रुपये से अधिक है प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक अपना बजट एवं हिसाबात कार्यालय वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट की धारा 44 एवं 46 के तहत स्वीकृति के लिये प्रेषित करें तथा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही व्यय करें। **बजट फार्म का नमूना संलग्न है।**

5. **किराया एग्रीमेंट :-**

(i) वक्फ सम्पत्ति की दुकान, मकान, प्लाट, भवन, खुली भूमि आदि का किसी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रुप से उपयोग करना दण्डनीय है। अतः प्रत्येक व्यक्ति से किरायदारी का लिखित अनुबंध अनिवार्य रुप से करना आपकी जिम्मेदारी है। अतः बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त कर सभी से बाजार दर पर लिखित **किराया अनुबंध करें। (अनुबंध पत्र का प्रारुप संलग्न है)**

(ii) वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार आपको केवल 11 माह तक की अवधि की किरायादारी अनुबंध करने का अधिकार है। इससे अधिक अवधि की किरायदारी अवैध होगी। 3 वर्ष तक किरायेदारी हेतु बोर्ड से स्वीकृति लेना अनिवार्य है।

(iii) प्रत्येक 11 माह के पश्चात किराये में कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक रुप से करने का उल्लेख किरायेनामे में करें। प्लाट की किरायेदारी के बाद व्यक्ति द्वारा जब मकान/दुकान निर्माण की जावे तो उसे वक्फ सम्पत्ति माना जावेगा। ऐसा एग्रीमेन्ट में साफ लिखा जावे तथा स्वीकृति अनुसार निर्माण होने पर ऐसी सम्पत्ति को बोर्ड में दर्ज कराया जावे।

(iv) 100/- रुपये के स्टाम्प पर किरायदारी करें। किरायदारी वक्फ के नाम से होगी। अध्यक्ष/मुतवल्ली अपने नाम से किरायेदारी न करें।

(क) किरायेदारी मार्केट में प्रचलित दर से करें।

(ख) जो व्यक्ति किरायदारी अनुबंध नहीं करते हों उसकी सूचना कार्यालय को दें तथा उनके विरुद्ध धारा 54 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही करें तथा उन पर सामाजिक दबाव बनाकर वक्फ सम्पत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने को बाध्य करें।

(ग) **किराये अनुबंध का नमूना संलग्न है**। इसका उपयोग करें।

(घ) समस्त किरायदारों के नाम पते किराया अनुबंध की दिनांक अवधि, किराये की मासिक दर तथा बकाया किराये की जानकारी **संलग्न प्रपत्र में** प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में कार्यालय वक्फ बोर्ड को प्रेषित करें। उसके साथ किराये नामों के अनुबंध की फोटो कापी भी प्रेषित करें।

वक्फ की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य।

वक्फ की सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिये लोगों में बेदारी पैदा करें तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से निम्न कार्य किये जावें :-

1. समस्त वक्फिया भूमि की फेंसिंग/बाउंड्री वाल बनवाएं ताकि अतिक्रमण न हो।
2. वक्फ सम्पत्ति का खसरा एवं अक्स पटवारी से प्रति वर्ष प्राप्त कर उसे फाइल में सुरक्षित रखा जावे तथा यह भी देखें कि इंद्राज सही है ? अन्यथा दुरुस्ती की कार्यवाही की जावे।
3. भूमि का नक्शा बनवाएं।
4. वक्फ नामा उपलब्ध हो तो मूल वक्फ नामा कार्यालय वक्फ बोर्ड को भेजें तथा एक प्रमाणित प्रति रजिस्टार कार्यालय में जमा करें, एक स्वयं प्रथक फाइल में लेमीनेशन करवाकर सुरक्षित रखें।
5. यदि भूमि खरीद कर वक्फ की गई थी रजिस्ट्री के कागजात भी संभाल कर रखें।
6. भूमि की वर्तमान स्थिति की यदि संभव हो सके तो फोटो ग्राफी तथा वीडियोग्राफी करवाएं। तथा बोर्ड को भी प्रति भेजी जावें।
7. राजस्व रिकार्ड में यदि वक्फ की सम्पत्ति वक्फ भूमि दर्ज नहीं हो तो इंद्राज दुरुस्ती की कार्यवाही करावें तथा कार्यालय वक्फ बोर्ड से सहयोग प्राप्त करें।
8. वक्फ सम्पत्ति पर बोर्ड लगवाएं जिस पर लिखे **जाने वाले विवरण का नमूना संलग्न है।**
9. वक्फ सम्पत्ति पर नव निर्माण की योजना बनाकर वक्फ बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें। बिना अनुमति निर्माण अवैध होगा।
10. प्रति वर्ष माह जनवरी में वक्फ सम्पत्ति में किये गये नव निर्माण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** में भेजें तथा इजाफा जायदाद दर्ज कराने की कार्यवाही करें।

अतिक्रमण / विक्रय :

1. वक्फिया जायदाद पर किसी भी प्रकार के नाजाइज कब्जे न होने देवें, इस पर बारीकी से नजर रखी जावें। कब्जे की जानकारी होने पर फौरी तौर पर अपने स्तर से बेदखली की कार्यवाही करें तथा कब्जे धारी के विरुद्ध दफा 54 का मामला वक्फ बोर्ड में दर्ज करावें।
2. कोई भी वक्फ जायदाद वक्फ एक्ट की दफा 51 के तहत बिना बोर्ड की पूर्व मंजूरी के न तो बेची जा सकती है और नहीं उसका विनिमय (तब्दीली) की जा सकती है और न उसे रहन रखा जा सकता है।एक्ट के तहत ऐसा कोई भी कृत्य शून्य माना जावेगा। अत: यदि ऐसा कोई मामला किसी भी वक्फ जायदाद के बावत् आपके इल्म में आए तो फौरी तोर पर इसको रोकने की कार्यवाही की जावे। स्थानीय प्रशासन की मदद से तथा सामाजिक दबाब बनाकर रोकने की कार्यवाही की जावे तथा इसकी इत्तला वक्फ बोर्ड को फौरी तौर पर दी जाये।

आपको यदि कोई कठिनाई आती है तो आप इस संबंध में बोर्ड के सहायक सचिव से सीधे सम्पर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही समय-समय पर आडिट करने वाले आडिटर्स से भी मार्गदर्शन तथा परामर्श प्राप्त किये जा सकते हैं।

वक्फ जायदादों की हिफाजत, तरक्की और इंतेजाम के लिये हम सबको मिलकर काम करना होगा। खासकर स्थानीय स्तर पर लोगो को बेदार कर एक अच्छा माहोल बनाना होगा। ताकि इससे होने वाली आमदनी से समाज के लोगों की तालीम रोजगार स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के अलावा जरुरतमंद लोगों की मदद भी की जा सकती है। समाज के विकास के लिये यह एक बेहतर ही नहीं, सुन्नत तरीका है। गीबत और बुराई से बचकर बेहतर और पाजिटिव सोच पैदा करें, नरमी और सब्र इख्तयार करें। वक्फ बोर्ड आपकी हर मदद के लिय हाजिर है।

इत्तिहाद कायम करें। आपस में बदगुमानी न करें। बदगुमानी, गलतफहमी की जड है। इससे दूर रहें। बगैर दिखावे के नेकी में एक - दूसरे से बढने की कोशिश करें।

(उमर फारुक खटानी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल